

हार गजट असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 भाद्र 1939 (श0)

(सं0 पटना 803) पटना, सोमवार, 4 सितम्बर 2017

विधि विभाग

अधिसूचनाएं 4 सितम्बर 2017

सं० एलजी०-01-22/2017-180 लेज:-बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 30 अगस्त 2017 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मनोज कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव।

[बिहार अधिनियम 22, 2017]

बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) अधिनियम, 2017 बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 23, 2011) का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ I—(1) यह अधिनियम बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जा सकेगा।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
- 2. बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा—2 (26) में संशोधन।— उक्त अधिनियम, 2011 की धारा—2 की उप धारा—(26) में निम्नलिखित नई उप धारा—26(क) जोड़ी जायगी :—

"26(क) जमाबंदी पंजी"— जमाबंदी पंजी उन रैयतों का रिजस्टर है, जो संबंधित राजस्व ग्राम में भूमि धारित करते हैं जिसमें जमाबंदी रैयत का खाता, खेसरा, रकवा, चौहद्दी तथा भू—लगान दर्ज रहता है तथा वे धारित जमीन में खेती करते हैं, जिसके बदले उन्हें जमाबंदी पंजी में दर्ज प्रविष्टि के आधार पर भूमि के लगान का भुगतान करना पड़ता है। इस प्रकार जमाबंदी पंजी रैयत एवं भू—स्वामी (राज्य सरकार) के बीच भू—लगान संव्यवहार (लेन—देन) को प्रदर्शित करने वाले तथा धारित करने वाली भूमि को प्रदर्शित करने वाला महत्वपूर्ण भूमि अभिलेख है।

3. बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा—3 में संशोधन।—(1) उक्त अधिनियम, 2011 की धारा—3 की उप धारा—(1) के पश्चात निम्नलिखित नई उप धारा—(1क) जोडी जायगी :—

''(1क) जिन मामलों में भूमि पर हित अर्जित करने के अधिकतम 90 दिनों के भीतर दाखिल खारिज हेतु याचिका समर्पित नहीं किया जाता है, वैसे मामलों में दाखिल खारिज याचिका के साथ विलम्ब क्षांति याचिका विहित प्रपन्न में संलग्न किया जाएगा, जिसमें विलम्ब का कारण उल्लिखित होगा। यदि याचिकाओं के साथ विलम्ब क्षांति याचिका विहित प्रपन्न में आवेदक के द्वारा संलग्न किया जाता है, तो मामलों का निष्पादन अंचल अधिकारी गुण—दोष के आधार पर करेंगे।"

(2) उक्त अधिनियम, 2011 की धारा–3 की उप धाराएं–(2) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

''किसी होल्डिंग या उसके भाग में विक्रय, दान, विनिमय, बँटवारा द्वारा चाहे न्यायालय द्वारा अथवा अन्यथा निर्वसीयत अथवा वसीयत, बिल, राज्य सरकार के विभागों / उपक्रमों द्वारा बिहार रैयती भूमि लीज नीति, 2014 के तहत पंजीकृत दस्तावेज से प्राप्त की गयी जमीन (सतत लीज के शर्ता पर), सक्षम प्राधिकार द्वारा लोक भूमि की बन्दोबस्ती/अन्तरण/समनुदेशन, भूदान यज्ञ समिति द्वारा भूमि के अनुदान, बिहार प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति वासगीत काश्तकारी अधिनियमं, 1947 के अधीन प्रदत्त अभिधृति अधिकार, बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 के अधीन दर रैयत के रूप में अधिभोगी अधिकार का अर्जन, भू–अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन पूर्व रैयत को होल्डिंग या उसके भाग का प्रत्यावर्त्तन, भू-अर्जन, पुर्नवास और पुनर्व्यव्यवस्थापुन में उचित प्रतिकर पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013, राष्ट्रीय राज्यमार्गे अधिनियम, . 1956 एवं रेलवे (विशेष) अधिनियम, 2008 के अधीन पूर्व रैयत को होल्डिंग या उसके भाग का प्रत्यावर्त्तन, वासभूमि रहित महादलित परिवारों के लिए रैयती भूमि की क्रय नीति, 2010 के अधीन क्रय की गयी वासम्मि, कोशी क्षेत्र (रैयतों को भूमि वापसी) अधिनियम, 1951 के अधीन पूर्व रैयत को होलिंडग या उसके भाग का प्रत्यावर्त्तन, बिहार भूमि-सुधार (अधिकतम सीमा-निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961 के अधीन भूमि की बन्दोबस्ती, किसी न्यायालय के आदेश/डिक्री अथवा सरकार द्वारा अधिसूचित अन्तरण का कोई अन्य उपाय/लिखत में हित अर्जित करने वाला कोई व्यक्ति, उस अंचल अधिकारी, जिसके क्षेत्राधिकार में वह होल्डिंग अथवा उसका भाग अवस्थित है, के कार्यालय में या अचल अधिकारी द्वारा उस क्षेत्र की दाखिल खारिज याचिकाओं को प्राप्त करने हेत् आयोजित शिविर में विहित रीति से उस होल्डिंग या उसके भाग के संबंध में चालू खतियान, अभिधारी खाता पंजी/जमाबंदी पंजी तथा खेसरा पंजी में अपने नाम से दाखिल खारिज करने के लिए याचिका दे सकेगा।"

(3) उक्त अधिनियम, 2011 की धारा—3 की उप धारा—(3) के पश्चात् निम्नलिखित नई उप धारा—(3क) जोड़ी जायगी।— "भूमि के निबंधन के तत्काल बाद Online Mutation हेतु इस निमित्त अधिसूचित अंचलों से संबंधित अंचल अधिकारी स्वतः संज्ञान लेते हुए तीन कार्य दिवसों के अन्दर दाखिल खारिज का अभिलेख संधारित करते हुए विहित प्रपत्र में आम सूचना एवं खास सूचना निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। आम सूचना एवं खास सूचना निर्गत करें।"

- 4. बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा—4 में संशोधन।— (1) उक्त अधिनियम, 2011 की धारा—4 की उप धारा (5) में अंकित "भू—अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन भूमि के अर्जन के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी, उस क्षेत्र के अंचल अधिकारी जिसके क्षेत्राधिकार में भूमि अवस्थित हो, को इसकी विहित प्रपत्र में सूचना देगा" शब्द "भू—अर्जन अधिनियम, 1894, भू—अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित अधिकार अधिनियम, 2013, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 एवं रेलवे (विशेष) अधिनियम, 2008 के अधीन भूमि के अर्जन के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी, उस क्षेत्र के अंचल अधिकारी जिसके क्षेत्राधिकार में भूमि अवस्थित हो, को इसकी विहित प्रपत्र में सूचना देगा" द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- (2) उक्त अधिनियम की धारा—4(6) में संशोधन।—(1) उक्त अधिनियम, 2011 की धारा—4(6) में प्रयुक्त शब्द "भू—अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन पूर्व रैयत को भूमि प्रत्यावर्तित करने हेतु उत्तरदायी प्राधिकार उस क्षेत्र के अंचल अधिकारी जिसके क्षेत्राधिकार में भूमि अवस्थित हो, को इसकी सूचना विहित प्रपत्र में देगा।" शब्द "भू—अर्जन अधिनियम, 1894, भू—अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित अधिकार अधिनियम, 2013, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 एवं रेलवे (विशेष) अधिनियम, 2008 के अधीन पूर्व रैयत को भूमि प्रत्यावर्तित करने हेतु उत्तरदायी प्राधिकार उस क्षेत्र के अंचल अधिकारी जिसके क्षेत्राधिकार में भूमि अवस्थित हो, को इसकी सूचना विहित प्रपत्र में देगा।" द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएगे।
- 5. बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा—6 में संशोधन।—(1) उक्त अधिनियम, 2011 की धारा—6(1) का (ख) के पश्चात् उप धारा—(ग) निम्नवत जोड़ा जाता है :—
- "(ग) बेव-साईट के माध्यम से ऑन-लाईन दाखिल खारिज याचिका अथवा निबंधन कार्यालयों से जमीन के हस्तान्तरण से संबंधित दस्तावेजों के पंजीकरण की सूचना के आधार पर दाखिल खारिज की ऑन-लाईन प्रक्रिया का सम्पादन इस निभित्त अधिसूचित अंचलों के अंचल अधिकारी के द्वारा किया जाएगा।"
- (2) उक्त अधिनियम, 2011 की धारा–6 की उप धारा–(7) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है :— ''कर्मचारी, उस राजस्व ग्राम को, जिसमें होल्डिंग अथवा उसका भाग अवस्थित हो, चालू खितयान, अभिधारी खाता पंजी/जमाबंदी पंजी तथा खेसरा पंजी में शुद्धि–पत्र में परिवर्त्तन हेतु दिए गये आदेश को दर्शाते हुए प्रविष्टियों में परिवर्त्तन करेगा।''
- (3) उक्त अधिनियम, 2011 की धारा–6 की उप धारा–(8) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है :– ''अभिधारी पंजी/जमाबंदी पंजी की प्रविष्टियों में किए गये परिवर्त्तन के अधार पर कर्मचारी संबंधित जमाबंदी में वार्षिक लगान एवं सेस की माँग में परिवर्त्तन करेगा।''

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मनोज कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव।

4 सितम्बर 2017

सं० एलजी०—01—22 / 2017—181 लेज:—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 30 अगस्त 2017 को अनुमत **बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) अधिनियम, 2017 का** निम्नलिखित अंग्रजी अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद—348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से, मनोज कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव।

[Bihar Act 22, 2017]

THE BIHAR LAND MUTATION LAW (AMENDMENT) ACT, 2017

AN ACT

TO AMEND THE BIHAR LAND MUTATION ACT, 2011 (BIHAR ACT 23, 2011)

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty eight year of the Republic of India as follows:-

- 1. *Short title, extent and Commencement.*—(1) This Act may be called The Bihar Land Mutation (Amendment) Act, 2017.
 - (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
 - (3) It shall come into force at once.

- 2. Amendment in Sec-2 (26) of at number-23, 2011.— "The following will be added in sub-sec(26) of section-2 as new sub-section 26(A)-
- "26(A) Jamabandi Register"- Jamabandi Register is a register of such raiyats, who own/possess land in the concerned revenue village. In such register various details of land such as Khata, Kheshra, Area, Boundary and land rent are entered and they cultivate such land. In lieu of cultivation over such land, they have to pay rent as per entries in the Jamabandi Register. Thus, Jamabandi Register is an important register depicting exchange of land rent between Jamabandi Regiter Raiyat and owner (State Govt.) of the land."
- 3. *Amendment in section-3 of the Bihar Act 23, 2011.*—(1) The following new sub section (1A) shall be added after sub-section (1) of Section-3 of the said Act, 2011:-
- "(1A) In such cases in which mutation petition is not filed within 90 maximum days from the date of acquiring interest over that land, delay condonation petition will be enclosed in prescribed form with such mutation petitions mentioning the reasons of delay in filing mutation petition. If delay condonation petition is enclosed with the mutation petitions, the Circle Officer will decide such cases on its merit."
 - (2) Sub sec-2 of Sec-3 of the above Act, 2011 shall be substituted by the following:-
- "Any person acquiring any interest in any holding or a part thereof by sale, gift, exchange, partition, whether by court or otherwise, succession interstate or testamentary, will, Land Acquired by the various departments/Boards and Corporations of the State Government through registered deed (under conditions of perpetual lease), settlement/transfer/assignment of public land by Competent Authority, grant of land by the Bhoodan Yagna Samiti, conferment of tenancy rights under the Bihar Privileged Persons' Homestead Tenancy Act, 1947, acquisition of occupancy rights as under raiyat-under the Bihar Tenancy Act, 1885, restoration of holding or part thereof to a former raiyat under the land Acquisition Act, 1894, Restoration of holding or part thereof to a former raiyat under the Land Acquisition Act, 1894, The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (RFCTLARR Act, 2013) The National Highways Act, 1956 and The Railways (Special) Act, 2008, house-sites purchased under Policy for Purchase of Raiyati land for house-siteless Mahadalit families 2010, restoration of holding or a part thereof to former raiyats under the Kosi Area (Restoration of land to Raiyat) Act, 1951, settlement of surplus and under the Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus Land) Act, 1961, an order/decree of any court or any other means/instrument of transfer notified by the Government, may file a petition in the prescribed manner for mutation of his name in respect of that holding or a part thereof in the Continuous Khatian, Tenants' Ledger Register/Jamabandi Register and Khesra Register in the office of the Circle Officer in whose jurisdiction the holding or a part thereof is situated or in a camp organized by the Circle Officer for the receipt of mutation petitions of the area."
 - (3) The following sub sec-3 (A) shall be added after sec-3 (3) of the said Act, 2011:-
- "After registration of land, the Circle Officers of those notified Anchals will take suomotu cognizance for Online Mutation and start mutation case record within three working days. The Circle Officer shall issue general notice and particular notice in prescribed form. After issuing general notice and also particular notice, the Circle Officer shall abide by the prescribed procedure for disposal of the mutation case records."
- 4. Amendment in Section-4 of the Bihar Act 23, 2011.- (1) The words and figures "Authorities, responsible for the acquisition of land under the Land Acquisition Act, 1894, shall give notice to this effect in the prescribed form to the Circle Officer of the area in whose jurisdiction the land is situated." used in subsection (5) of section 4 shall be substituted by the words and figures "Authorities, responsible for the acquisition of land under the Land Acquisition Act, 1894 The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (RFCTLARR Act, 2013) The National Highways Act, 1956 and The Railways (Special) Act, 2008 shall give notice to this effect in the prescribed form to the circle officer of the area in whose jurisdiction the land is situated."
- (2) Amendment in section 4 (6) of the said Act 2011.—(1) the words and figures "Authorities responsible for the restoration of land to former raises under the Land Acquisition Act, 1894, shall give notice to this effect in the prescribed form to the Circle

Officer of the area in whose jurisdiction the land is situated." used in sub-section (6) of section (4) of the Act shall be substituted by the words and figures. "Authorities responsible for the restoration of land to former raiyats under the Land Acquisition Act, 1894 The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (RFCTLARR Act, 2013) The National Highways Act, 1956 and The Railways (Special) Act, 2008 shall give notice to this effect in the prescribed form to the Circle Officer of the area in whose jurisdiction the land is situated."

5. (1). The following shall be added as sub-section-(C) of section-3 after section-3(1)(B) of the said Act, 2011:-

"Online mutation applications will be received through web-site and from registration offices after registration of land transfer deeds. On such informations, the Circle Officers of such notified Anchals will dispose of mutation cases on the basis of online process."

(2) Sub Section-(7) of Section-6 of the said Act shall be replaced by the following .-

"The Karamachari shall alter the entries in the Continuous Khatiyan,, Tenants' Ledger Register/Jamabandi Register and Khesra Register of the Revenue Village in which the holding or a part thereof is situated reflecting the order for alteration given in the correction slip."

(3) Sub Section-(8) of Section-6 of the said Act shall be replaced by the following:-

"On the basis of the alteration effected in the entries of the Tenants' Ledger Register/Jamabandi Register the Karmachari shall alter the yearly demand of rent and cess of the concerning jamabandi."

By Order of the Governor of Bihar, MANOJ KUMAR, Joint Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

बिहार गजट (असाधारण)803-571+400-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in